374

विज्ञापन संख्या १२/एनपीसीडीसीएस/पटना-१५-१६

Tele-Fax : 0612-2631678(O)/2630903
E.-mail ID : arri-patna@gov.in

आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्
आयुष मंत्रालय भारत सरकार
अगम कुआँ, पटना - ८००००७ (बिहार)

फा.सं. १७-४/एनपीसीडीसीएस/आयु.क्षे.अनु.सं./पटना/१५-१६/६१२ दिनांक : ०१.०३.१६

आवश्यकतानुसार बुलाने पर / मासिक आधार पर सवारी वाहन सेवाएं किराये पर लेने हेतु निविदा प्रलेख

(क) सामान्य

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अधीन आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, आर.एम.आर. आई. बिल्डिंग ''डी'' ब्लॉक, अगम कुआँ, पटना-800007 में सवारी वाहन किराये पर लेने के लिये प्रारम्भ में 6 माह अथवा 1 वर्ष के लिये (परियोजना अवधि के अनुसार) आवश्यकतानुसार किसी भी दिन/समय अथवा मासिक आधार पर संस्थान में **एन पी सी डी सी एस, गया, एवं पटना** के लिये चयनित स्थानों / गांवो में चिकित्सा शिविर हेतु दौरे के लिये वाहन की आवश्यकता है।

सवारी वाहन किराये पर लेने के लिये लिमिटेड निविदा (कोटेशन) पूर्ण रूप से भरे हुये प्रभारी, संस्थान में दिनांक 15.03.2016 अपराह्न 11 बजे तक प्राप्त होनी चाहिए । प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि / समय के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकार की जायेगी । अपूर्ण निविदा, ई-मेल अथवा फैक्स द्वारा प्राप्त निविदा भी स्वीकार नही की जायेगी । निविदायें संस्थान कार्यालय में ही उसी दिन दिनांक 15.03.2016 को सांयकाल 05:00 बजे निविदा दाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों, जो भी उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी । निविदा स्वीकृत करने से पूर्व संस्थान बिना कोई कारण स्पष्ट किये समस्त निविदाओं को पूर्ण, आंशिक अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ख) योग्यता मापदण्डः

इच्छुक पंजीकृत एजेन्सियां / निविदा दाता, जो कि निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते है आवेदन करने के योग्य होगे ।

1. एजेन्सी केंन्द्र / राज्य सरकार के संबंधित विभाग (परिवहन विभाग) से सम्बन्धित अधिनियमों / नियमों में पंजीकृत होनी चाहिए (पंजीकरण की प्रतिलिपि संलग्न करें) ।
2. कभी भी बुलाये जाने पर संस्थान को समय पर उपयुक्त सवारी वाहन उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी के पास हर समय वांछित प्रकार का वाहन उपलब्ध होना चाहिये ।
3. एजेन्सी पर लागू सर्विस टैक्स (सेवा कर) के पंजीकरण और आयकर के पैन कार्ड की प्रतिलिपियां संलग्न करें।
4. किसी भी निविदा दाता की निविदा जो कि योग्यता मानदण्ड की शर्तो का पालन नही करती है और अपूर्ण है अथवा अपेक्षित दस्तावेज, जैसा कि निविदा प्रलेख में अंकित है प्रस्तुत करने में असफल होने पर अस्वीकार करने योग्य होगी ।

(ग) विधिमान्यताः

1. अनुबंध एवं उद्धत दरें कार्य करने की तिथि 6 माह अथवा 1 वर्ष तक वैध होगी । परन्तु फर्म एवं संस्थान के मध्य सहमति के आधार पर उन्हीं शर्तो एवं अनुबंधों को आगे भी बढाया जा सकेगा ।

(डॉ० कृष्ण कुमार सिंह)
अनुसंधान अधिकारी (आयु०)
वैज्ञानिक-03
आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान
अगमकुआँ, पटना-7

2. यदि किसी मामले में निविदादाता निर्धारित अवधि के दौरान अपने प्रस्ताव को वापस लेता है, संशोधित करता है, परिवर्तन करता है अथवा सफल निविदादाता अनुबन्ध निष्पादित नही करता है तो निविदा अस्वीकृत करने योग्य होगी ।

(घ) वित्तीय बोली

1. वित्तीय बोली इस निविदा प्रलेख के अन्त में दिये गये परिशिष्ट-प्रपत्र में पूर्ण एवं ठीक तरह से भरी होनी चाहिये।
2. निविदादाता के द्वारा अपना पूर्ण पता देते हुये वित्तीय बोली साफ भरी हुई अथवा टाईप एवं स्याही से सुस्पष्ट हस्ताक्षरित होनी चाहिये । परिवर्तन अगर कोई है तो निविदादाता द्वारा उसके पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित नहीं होन पर निविदा अवैध होगी । निविदा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये।
3. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं हस्ताक्षर बिना वित्तीय बोली गैर जिम्मेदाराना समझी जायेगी एवं अस्वीकार की जायेगी।
4. सेवा कर एवं अन्य उपकर जो कि नियमानुसार लागू हो अलग से देय होगा एवं निविदादाता एजेन्सी पर सेवा कर की लागू दरें भी वित्तीय बोली में अंकित करनी होगी । यदि निविदादाता को सेवाकर में कोई छूट प्राप्त है तो सम्बन्धित राजकीय अधिसूचना / आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित करते हुये उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न करें ।

(ड़) अनुबंध का आवंटन

दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय बोली के उचित मूल्यांकन के पश्चात् संस्थान सफल निविदा दाता फर्म के साथ चिकित्सा शिविर हेतु सवारी वाहन के लिये अनुबंध करेगा ।

(च) निष्पादन प्रतिभूति

1. सफल निविदादाता (फर्म) को रूपये 100/- (रूपये एक सौ मात्र) पेपर क्रय कर संस्थान के साथ अनुबंध करना होगा ।

(छ) अन्य शर्ते:

1. फर्म को संस्थान में आवश्यकता के अनुसार बुलाने पर / मासिक आधार पर सवारी वाहन समय पर उपलब्ध करानी होगी । फर्म को सौंपा गया कार्य उपसंविदा पर नही दिया जायेगा ।
2. सवारी वाहन अच्छी हालत में, उसकी सींटे, कवर साफ-सुथरी होनी चाहिये ।
3. सवारी वाहन में समय पर पर्याप्त इंधन ऑयल भराने अतिरिक्त पुर्जे, व्यापक बीमा, मरम्मत एवं रखरखाव आदि की समस्त कीमत फर्म वहन करेगी । ड्राईवर के वेतन एवं अन्य व्यय फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे ।
4. सवारी वाहन के ड्राईवर के पास टैक्सी चलाने का वैध लाईसेन्स होना आवश्यक है । ड्राईवर सरकारी विभाग/ प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित समस्त यातायात नियम एवं विनियमों का पालन कठोरता से करेगा । किसी भी यातायात नियम एवं विनियमों के उल्लघंन पर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये प्रभार के किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के लिये संस्थान जिम्मेदार नही होगा । ड्राईवर सावधानीपूर्वक एवं निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलायेगा ।
5. ड्राइवर जब भी वाहन चलायेगा किसी भी मामले में धुम्रपान करना एवं मोबाईल पर बात करना निषेध रहेगा ।
6. टोल कर एवं पार्किंग प्रभार की रसीद प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

(डॉ० कृष्ण कुमार सिंह)
अनुसंधान अधिकारी (आयु०)
वैज्ञानिक-03
आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान
अगमकुआँ, पटना-7

7. किसी दुर्घटना के मामलें में, उक्त दुर्घटना के कारण यदि कोई मुआवजा–दावें किये जाते है तो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की पात्रता के अनुसार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारी को तत्समय लागू कानून के तहत फर्म द्वारा निपटाये जायेगें ।
8. किराये के लिये वाहन के बिल भुगतान हेतु कार्यालय में दो प्रतियों मे मासिक में प्रस्तुत किये जायेगे ।
9. वाहन के खराब होने व उसके ठीक होने / दूसरा वाहन उपलब्ध कराने के बीच का समय संस्थान के खाते में नही जुड़ेगा ।
10. निविदा प्रलेंख / एग्रीमेन्ट संबन्धी कोई भी विवाद पहले संस्थान द्वारा ही सुलझाया जायेगा । अन्यथा इस परिस्थति में केवल पटना जिला के सक्षम न्यायालय एवं फोराम एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा ।

आवश्यकतानुसार बुलाने पर/ मासिक आधार पर वाहन किराया प्रभार की वित्तीय बोली

किसी भी दिन/समय संस्थान के द्वारा वाहन बुलाने पर मद विवरण	आवश्यकता अनुसार बुलान पर बालेरो/टवेरा/क्वालिस वाहन (मय केरियर)		मसिक आधार पर बालेरो/टवेरा/क्वालिस वाहन (मय केरियर) प्रातः ९ बजे से सांय ५ बजे तक	
	गया, एवं पटना जिला	पटना जिला	गया, जिला	गया, एवं पटना जिला
1) 06 घण्टे, 60 किलोमीटर के लिये किराया प्रभार	दर	दर	दर	दर
2) 08 घण्टे, 100 किलोमिटर के लिये किराया प्रभार				
3) 12 घण्टे, 120 किलोमिटर के लिये किराया प्रभार				
4) अतिरिक्त दूरी का प्रति किलोमिटर अतिरिक्त प्रभार				
5) 24 घण्टे 250 किलोमीटर के लिये किराया प्रभार				

नोटः– उपयुक्त उद्धरित दरें सभी लागत कर प्रभार इत्यादि सहित होगी ।

भवदीय

कृते सहायक निदेशक(आयु.), प्रभारी
वैज्ञानिक–04
(डॉ॰ कृष्ण कुमार सिंह)
अनुसंधान अधिकारी (आयु॰)
वैज्ञानिक-03
आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान
अगमकुआँ, पटना-7